भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3136

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय

†3136. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) स्वीकृत सड़क परियोजनाओं में सुरक्षा संबंधी मूल्यांकन करने में शामिल तृतीय-पक्ष विशेषज्ञों एवं एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में कराए गए सड़क सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षणों का राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क सुरक्षा पर आयोजित जागरूकता अभियानों का राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए 4ई अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, देश में सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की नियमित सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा (ऑडिट) (आरएसए) आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये ऑडिट डिजाइन चरण में, निर्माण के दौरान, नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन-पूर्व चरण में और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने अपने द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए तृतीय-पक्ष विशेषज्ञों और एजेंसियों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III में संलग्न है।

एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल से संबंधित सड़क परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में किए गए सड़क सुरक्षा ऑडिट का राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-IV और अनुलग्नक-V में संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है, जिसमें सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उसे बढ़ाने के लिए मंत्रालय और अन्य हितधारकों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ की जाती हैं:

- वॉकथॉन का आयोजन, सड़क सुरक्षा पर प्रदर्शनी, निबंध लेखन/पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता/नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- सुरक्षा सप्ताह के दौरान टोल प्लाजा, मार्गस्थ सुविधाओं और खाद्य स्टालों पर सड़क प्रयोक्ताओं को पर्चे आदि वितरित करना।
- फ्लेक्स बैनर, कार्यशालाओं और चर्चाओं के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
- टोल प्लाजा पर पीछे से होने वाली टक्कर से बचने के लिए ट्रकों, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पशुगाड़ी आदि पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट लगाना और रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना।
- प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से विद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों के लिए प्रेरणा और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम।
- पुलिस विभाग की मदद से ओवरलोडिंग रोकने के साथ-साथ ओवर-स्पीडिंग, अनधिकृत पार्किंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने आदि की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक/बस चालकों के लिए स्वास्थ्य सह नेत्र जांच शिविर लगाना और चश्मे का वितरण करना।
- पर्चे बांटना और सुरक्षा संबंधी बैनर लगाना।
- ट्रक चालकों की थकान की जांच करना और उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना।
- ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं।

अनुलग्नक-।

'सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना। हाल ही में, संशोधित योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि और पात्रता मानदंडों को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण-परीक्षण क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) के साथ मिलकर स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है।
ii. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा समर्थन योजना संचालित करता है।
iii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाना।

(2) इंजीनियरिंग:

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करने और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता देना।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए अभिहित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार गृह स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।
vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)

ख. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

ग. अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में दिनांक 31.10.2022 और दिनांक 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं के सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया।

xii. एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए 1 अप्रैल 2025 को नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

xiii. मध्यम और भारी शुल्क वाहनों में सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं के लिए प्रकाशित नियम, जो एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और क्वाड्रिसाइकिल (1 जनवरी, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 अक्टूबर, 2027 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग, एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम सहित ब्रेकिंग सिस्टम, और वाहन स्थिरता फंक्शन (वीएसएफ), लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस), ड्राइवर का उनींदापन और ध्यान चेतावनी प्रणाली, ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली और एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए चेतावनी सूचना प्रणाली (1 अक्टूबर, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 जनवरी, 2028 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) प्रदान करते हैं।

xiv. ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली (एवीएएस) के लिए प्रकाशित नियम जोकि एआईएस-173 श्रवण मानकों के अनुरुप हों, को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह आवश्यकता 1 अक्टूबर 2026 को या उसके पश्चात् निर्मित नए वाहन मॉडल और 1 अक्टूबर 2027 को या उसके पश्चात् निर्मित मौजूदा वाहन मॉडल पर लागू होती है। चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन कम गति पर लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करते हैं, इसलिए एवीएएस पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आने वाले वाहन के बारे में सचेत करने के लिए एक श्रव्य चेतावनी ध्वनि उत्पन्न करता है, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ती है।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. केंद्रीय सरकार, दिनांक 20.01.2026 की अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 167 और 167ए में संशोधन करके यातायात चालान जारी करने, भुगतान करने और उनका निपटारा करने के लिए एक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और समयबद्ध ई-चालान ढांचा स्थापित किया गया है। चालान की ऑनलाइन चुनौती, स्वचालित अधिसूचनाएं और अनुपालन और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए संशोधनों में सुदृढ़ प्रवर्तन उपायों का भी प्रावधान है।

iv. सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियमावली, 2025 को अधिसूचित किया है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है और का.आ. 3505(अ) दिनांक 29.06.2026 के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

v. केंद्रीय सरकार ने एक लैप्स ना होने वाले राज्य सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना के माध्यम से और जमीनी स्तर पर लक्षित सड़क सुरक्षा उपाय करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सशक्त बनाकर सड़क सुरक्षा उपायों के निरंतर वित्तपोषण और जवाबदेह कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा कोष (एसआरएसएफ) के गठन और उपयोग और जिला सड़क सुरक्षा समितियों को वित्तपोषण 2025 पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

vi. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

vii. सरकार ने वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन कार्यक्रम (परिवर्तन योजना) के तहत दिल्ली-एनसीआर में पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को स्वच्छ और सुरक्षित विकल्पों के साथ बदलने में तेजी लाने के लिए दिनांक 14.07.2026 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना वाहन स्क्रैपिंग और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे सड़क सुरक्षा में सुधार, उत्सर्जन में कमी और दीर्घकालिक गतिशीलता में वृद्धि होती है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए योजना (राह-वीर के रुप में नामकरण) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और बिना किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाते हैं। योजना के अनुसार, राह-वीर के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सरकार ने 5 मई 2025 को 'प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना' (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025) को अधिसूचित किया है। इसके पश्चात्, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), और स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश 4 जून 2025 को अधिसूचित किए गए थे।

अनुलग्नक- II

'सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनएचएआई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए तृतीय-पक्ष विशेषज्ञों और एजेंसियों का विवरण:

क्र.सं	फर्म का नाम	वरिष्ठ सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक-सह-टीम लीडर	ट्रैफ़िक प्लानर
1	श्वेता टेक्नोफिल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	झांसी रानी	राजीव कंबोज
2	ट्रांसलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड	श्री छोटूराम बिश्नोई	श्री ध्रुव पटेल
3	टेकमोडेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	सीता राम शर्मा	नारायण सी बागलकोट
4	श्री इन्फोटेक	डी. श्रीनिवासा चारी	डॉ. नागा मल्लिकार्जुन राव गोला
5	इंफ्रास्टक्चर डवलपमेंट कंसल्टेंट्स	श्री अभय कुमार खरे	श्री पवन दौलतराव देशपांडे
6	परिशा इंजीनियर्स एलएलपी	श्री अशोक कुमार पारेख	श्री नितेश समरिया
7	मैसर्स अलमोंडज़ ग्लोबल इंफ्रा-कंसल्टेंट लिमिटेड	सुधाकर सिंह	उमा देवी रंगाली
8	जी-इंग एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	श्री सज्जन कुमार गोयल	श्री महिपाल सिंह
9	श्वेता टेक्नोफिल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	डॉ. सैयद अकील अहमद	रामदासे
10	जियो डिजाइन्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	हेमंतकुमार पंड्या	हरीश कुलकर्णी
11	इंडियन इंफ्राटेक	श्री मिलिंद जाम्बल	श्री पल्लव एस. भिंगे
12	पायनियर इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	राजेंद्र कुमार नीखरा	कमल किशोर
13	रोड लिंक कंसल्टेंसी सर्विसेज	राजेंद्र कुमार	नरेश कुमार चतुर्वेदी
14	एंटीक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड	परेश कुमार गुप्ता	मनीष मंगल
15	स्फीयर इंफ्राटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	मिनेश विनोदकुमार खिनवासरा	योगेश प्रभुदास पाठक
16	परिशा इंजीनियर्स एलएलपी	आकाश भटनागर	राजेश चंद्र पुरोहित

17	मैसर्स इंफोट्रांस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	पोत्ची रेड्डी	बी अनीता
18	एफपी इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	सुश्री लक्ष्मी मेनन	राकेश आर
19	कास्टा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	मोहम्मद शम्सुज़ोहा	मोहम्मद हेदयातुल्लाह
20	फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	प्रशांत कलाथिल	रवींद्र बाबू तल्लूरी
21	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री अनिल चांसोरिया	श्री अजय सक्सेना
22	मैसर्स इंडियन इंफ्राटेक।	दत्तात्रेय यशवंतराव पाटिल	विजय जेउगले
23	मैसर्स जियो डिजाइन्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	उमाकांत पानी	अभिषेक कुमार
24	इन्फोट्रांस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	जी कुमार	वी जगन सेल्वा प्रभु
25	मैसर्स समर्थ इंफ्रा इंजीनियरिंग टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	वी. श्रीनिवास राव	जी विद्या सागर
26	मैसर्स आर्मेन्ज इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	के वेंकट रमना मूर्ति	कर्नल मुकेश कुमार शर्मा
27	मैसर्स लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देवेंद्र डंडोतिया	श्रीराम शर्मा
28	मैसर्स स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जेड अहमद खान	कर्नल टी.के. शशिधरन
29	जियो डिजाइन्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	जिग्नेश त्रिवेदी	अनिल मेहता
30	श्वेता टेक्नोफाइल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	गीता शुक्ला जिंदल	विक्रांत कुमार
31	जीएमडी कंसल्टेंट्स	शैलेंद्र मोहन	राजेश हरीश गज्जर
32	एके कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड	अतुल कुमार	रागुरमन साउंडराजन
33	इनफिनिट सिविल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	शबाना थाबस्सुम	प्रग्नेश सोनी
34	साध्या इंफ्रा सॉल्यूशन एलएलपी	महेंद्र वड्डेपल्ली	माचा वेंकट श्रीधर
35	सिविलबाबा इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	राजेश कुमार जिंदल	इश्विंदर सिंह दुआ
36	मैसर्स लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	बीके राणा	सुशील निम्बार्क
37	क्रेडेंस इमेजिनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	किरण रामभाऊ सोमवंशी	डी. रमेश कुमार
38	एमए सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	मश्कुर अहमद	उपेंद्र कुमार
39	मैसर्स डिजाइन एड	प्रशांत जोशी	नौशीन खान

40	मैसर्स स्फीयर इंफ्राटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	बीएस कड़िया	भाविन परमार
41	राइट्स लिमिटेड	संजीव गुप्ता	राजेंद्र सोथवाल
42	मैसर्स स्ट्रक्टन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्रमोद वसंत जोशी	प्रभाकर गोविंदा वंजारी
43	मैसर्स पीके इंजीनियर्स	श्री प्रदीप अग्रवाल	श्री नारायण लाल वर्मा
44	रोड लिंक कंसल्टेंसी सर्विसेज	महेश चंद्र गोयल	वीरेंद्र चौधरी
45	मैसर्स एमपीजी एसोसिएट्स	विवेक सिंह	पंकज कुमार गुप्ता
46	मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	शंकर दत्तात्रेय कुलकर्णी	सुजीत कुमार मोदी
47	पायनियर इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।	श्याम सुंदर विजय	रवि कुमार सिंघल
48	मैसर्स आयोलीजा कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्री सनमीत सिंह	श्री अभिषेक कुमार
49	महामार्ग इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	हरि मनाजी विधाते	विनोद शर्मा
50	भारती टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज मैसर्स	राजेश कुमार चोपड़ा	वरुण कीर्ति
51	केएस इंफ्रा कंसल्टेंट्स	कर्नल खुशवंत सिंह	सुशील कुमार सिंघल
52	इन्फोट्रांस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	कृष्ण मोहन बोद्दापति	पवन कुमार, प्रधानमंत्री
53	इंफ्रास्टक्चर डवलपमेंट कोपरेशन (कर्नाटक) लिमिटेड	सुधेंद्र कुमार करनम	सुजीत कुमार राव
54	जनरल हाईवेज़ एंड इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	इंदरजीत घई	सुशील कुमार विधान
55	टेक्निकल कंसल्टेंट्स सर्विसेज	प्रदीप गैरोला	विनय कुमार गुप्ता
56	सीडीएफ इंफ्रा कॉन प्राइवेट लिमिटेड	डॉ. सिद्देगौड़ा	श्रीमती रजनी नीलेश पासारेट
57	मैसर्स श्री भवानी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	अनिल कुमार गुप्ता	प्रशांत देवा
58	मैसर्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड	प्रमोद कुमार जैन	बृजेश अंगिरा
59	राइट्स लिमिटेड	सुदर्शन कुमार पोपली	राकेश कुमार
60	सीएमईसी कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री कोमल प्रसाद	श्री प्रेम कुमार
61	मैसर्स अलमोंडज़ ग्लोबल इंफ्रा-कंसल्टेंट लिमिटेड	वीरेंद्र दत्त शर्मा	संथिनी क्विंटोइल एम
62	होल्टेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	जितेश गुप्ता	अखिल भूटानी
63	स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जियाउद्दीन मलिक	माज़ सुल्तान

64	सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड	अविनाश पंचोटिया	सलिल कुमार
65	परिशा इंजीनियर्स एलएलपी	श्री चंद्र लाल वर्मा	श्री लिलेश गौतम
66	एसए इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	अनु गोयल	संजय शुक्ला
67	मैसर्स आरवी एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	बिजु मुथु	एम.खलील बाशा
68	आरआईटीईएस लिमिटेड	विष्णु प्रकाश गोयल	पंकज गुप्ता
69	टेक्निकल कंसल्टेंट्स सर्विसेज	इंजीनियर मोहित वर्मा	इंजीनियर गौतम आदित्य
70	एक्रीट कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	श्री गोपाल	श्री राजेश सिंघल
71	टेकमोडेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	मंगिलाल वर्मा	राकेश कुमार गोयल
72	सड़क संपर्क परामर्श सेवाएँ	अखिलेश वशिष्ठ	प्रियंका वर्मा
73	चैतन्य प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	एस.के. सिन्हा	नीरज कुमार सिन्हा
74	स्टर्लिंग इंडो टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	वीरेंद्र मित्तल	अनिल कुमार जैन
75	टेकमोडेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	लोकेश कुमार	शरद सक्सेना
76	फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	एस कुमार	सतीश एनएल
77	एफपी इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	डॉ. संतोष जलिहाल	सुश्री प्रियंका सरीन
78	इंफो ट्रांस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	गणेश कुमार सार्डी	पी अनिल कुमार
79	उपहम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन	सौरव शेखर	हिमत कुमार भुयान

अनुलग्नक-III

'सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ और एजेंसियां निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	**राज्य**	**तृतीय-पक्ष विशेषज्ञ/एजेंसियां**
1.	उत्तराखंड	जयमन कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स एंड डॉ. विश्व कांत पांडे
		मैसर्स खन्ना गोयल एंड डॉ. विश्वकांत पांडे
		केक्यूसी ग्लोबल डिज़ाइनर्स
		कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	सिक्किम	मैसर्स जीके कंसल्टिंग इंजीनियर्स
		स्फीयर इंफ्राटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
		मैसर्स इंडस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
		मैसर्स रेसोटेक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
		ट्रांसलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड
		श्वेता टेक्नोफिल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	मेघालय	मैसर्स बीटीईएस कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

अनुलग्नक-IV

'सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनएचएआई द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में किए गए सड़क सुरक्षा ऑडिट का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:

आरओ	परियोजनाओं की कुल संख्या	वे सभी परियोजनाएं जिन पर आरएससी पहले ही नियुक्त हो चुकी है	कुल सक्रिय ऑडिट परियोजनाएँ	वे सभी परियोजनाएं जिन पर आरएससी नियुक्त नहीं है	अनुबंध की कुल अवधि	कुल अनुबंध अवधि जिस पर आरएससी पहले ही नियुक्त हो चुका है	कुल अनुबंध अवधि जिस पर आरएससी नियुक्त नहीं है
आरओ-जयपुर	255	101	79	154	7410	5713	1696
आरओ-भोपाल	318	99	52	219	5492	2825	2667
आरओ-विजयवाड़ा	296	96	30	200	4346	1431	2915
आरओ-बेंगलुरु	295	73	19	222	4121	1059	3061
आरओ-गांधीनगर	280	70	34	210	4032	2171	1860
आरओ-पटना	215	87	52	128	3955	3004	951
आरओ-मुंबई	289	68	37	221	3580	2054	1526
आरओ-यूपी पश्चिम	193	49	31	144	3098	1557	1541
आरओ-चंडीगढ़ (एचआर)	305	51	23	254	2842	1383	1459
आरओ-यूपी पूर्व	178	51	26	127	2830	1473	1357
आरओ-नागपुर	196	41	17	155	2611	1154	1457
आरओ-मदुरै	203	47	23	156	2546	1399	1147
आरओ-चेन्नई	247	49	8	198	2261	310	1951
आरओ-	234	48	19	186	2220	1075	1145

भुवनेश्वर							
आरओ-दिल्ली	186	64	31	122	2016	1102	914
आरओ-चंडीगढ़ (पीबी)	212	51	16	161	1413	616	797
आरओ-कोलकाता	111	32	18	79	1394	908	486
आरओ-रांची	97	44	29	53	1288	1126	162
आरओ-गुवाहाटी	114	39	21	75	1208	821	387
आरओ-रायपुर	60	21	18	39	1166	1126	39
आरओ-हैदराबाद	164	43	18	121	1083	748	335
आरओ-देहरादून	108	32	4	76	858	67	791
आरओ-तिरुवनंतपुरम	110	35	5	75	836	201	635
आरओ-जम्मू	66	31	25	35	635	500	136
आरओ-शिमला	127	24	9	103	574	185	389
कुल	4835	**1322**	**644**	**3513**	**63814**	**34008**	29806

अनुलग्नक-V

'सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय' के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एनएचआईडीसीएल द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में किए गए सड़क सुरक्षा ऑडिट का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	राज्य	01.04.2025 से 31.03.2026 तक आरओ-एनएचआईडीसीएल का ऑडिट (किलोमीटर में) पूर्ण हुआ।	आरओ-एनएचआईडीसीएल ऑडिट (किलोमीटर में) पहली तिमाही (01.04.2025 से 30.06.2025) के दौरान पूरा हुआ।	आरओ-एनएचआईडीसीएल ऑडिट दूसरी तिमाही (30.06.2025 से 30.09.2025) के दौरान पूर्ण किए गए (किलोमीटर में)	आरओ-एनएचआईडीसीएल ऑडिट तीसरी तिमाही (30.09.2025 से 31.12.2025) के दौरान पूर्ण हुआ (किलोमीटर में)	आरओ-एनएचआईडीसीएल ऑडिट चौथी तिमाही के दौरान (31.12.2025 से 31.03.2026 तक) पूर्ण हुआ(किलोमीटर में) ।	टिप्पणियाँ - अद्यतन की गई
1	अरुणाचल प्रदेश	40.983	23.083	2.91	0	14.99	24-07-2026
2	असम	1244.3	193.2	206	72.86	772.24	25-06-2026
3	जम्मू और कश्मीर	0	0	14.835	0	8.402	27-07-2026
4	लद्दाख	0	0	0	0	0	24-07-2026
5	मणिपुर	280.314	126.227	0	0	65.208	24-07-2026
6	मेघालय	186.358	40.288	42.25	103.82	0	
7	मिजोरम	310.611	273.205	0	6.996	30.41	15-07-2026
8	नागालैंड	104.193	84.193	-	-	20,000	15-07-2026

9	**सिक्किम**	0	0	0	0	0	24-07-2026
10	**त्रिपुरा**	21.412	21.412	0	0	0	15-07-2026
11	**उत्तराखंड**	0	0	0	0	0	24-07-2026
12	**पश्चिम बंगाल**	0	0	0	0	0	24-07-2026
